## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू (राज.)

...सीन अधिकारीः– श्री राम सिंह राजावत (आर.ए.एस.)

...कदमा नम्बरः– 49/2021

...0सी0एम0एस0 नम्बरः–2021/435

बनवारी लाल पुत्र नानूराम जाति गुर्जर निवासी ढाणी बुरली तन गुढागौड़जी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं। प्रार्थी ..

**बनाम**

तहसीलदार तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं। अप्रार्थी..

**प्रार्थना पत्र अ0 धारा 136 भू– राजस्व अधिनियम 1956**

**निर्णय दिनांक 19.08.2021**

प्रार्थी ने जरिये वकील प्रार्थना पत्र अ0 धारा 136 एल. आर. एक्ट का इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम गुढागौड़जी पटवार हल्का गुढागौड़जी तहसील उदयपुरवाटी की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 1887, 1888, 1889 अवस्थित हैं। उक्त खसरा नम्बरों में से एक रास्ते का सर्मपन दिनांक 01.07.2006 को किया गया था जिसके पश्चात अप्रार्थी ने उक्त रास्ते का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर दिया। अप्रार्थी संख्या 1 के मातहत कर्मचारियों द्वार उक्त समर्पण के अनुसार राजस्व रिकार्ड में तो सही दर्ज कर दिया लेकिन उक्त समर्पण की राजस्व नक्शा में गलत तरमीम कर दी गई। दिनांक 01.07.2006 को समर्पण के अनुसार मौका पर रास्ता चालु हैं।

अन्त में निवेदन किया गया है कि ग्राम गुढागौड़जी पटवार हल्का गुढागौड़जी तहसील उदयपुरवाटी की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 1887, 1888, 1889 में से जो रास्ता समर्पण पत्र दिनांक 01.07.2006 को किया गया था कि तरमीम समर्पण दिनांक 01.07.2006 एवं मौका के अनुसार राजस्व नक्शा में दुरूस्ती करवाई जावे। प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थी की तलबी वास्ते जबाबदेही तय की गई। तहसीलदार उदयपुरवाटी से जबाब/तथ्यात्मक जांच रिर्पोट प्राप्त।

बहस प्रार्थना पत्र अ0 धारा 136 एल. आर. एक्ट पर एकतरफा श्रवण की गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि ग्राम गुढागौड़जी पटवार हल्का गुढागौड़जी तहसील उदयपुरवाटी की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 1887, 1888, 1889 अवस्थित हैं। उक्त वर्णित भूमि में से एक रास्ते का सर्मपन दिनांक 01.07.2006 को किया गया था। उक्त समर्पण का नामान्तकरण दर्ज करते समय राजस्व रिकार्ड तो सही कायम कर दिया लेकिन राजस्व नक्शा में तरमीम समर्पण पत्र के अनुसार नहीं की गई। दिनांक 01.07.2006 को किये गये समर्पण पत्र के अनुसार ही मौका पर रास्ता चालु हैं। अन्त में निवेदन किया गया है कि ग्राम गुढागौड़जी पटवार हल्का गुढागौड़जी तहसील उदयपुरवाटी की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 1887, 1888, 1889 में से जो समर्पण पत्र दिनांक 01.07.2006 को रास्ता के बाबत् किया गया था कि तरमीम समर्पण पत्र दिनांक 01.07.2006 एवं मौका के अनुसार राजस्व नक्शा में करवाया जाना प्रार्थनीय है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.09.14 16:07:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर मौजूद प्रतिलिपी समर्पण पत्र दिनांक 01.07.2006 के अवलोकन से साबित है कि ग्राम गुढागौड़जी पटवार हल्का गुढागौड़जी तहसील उदयपुरवाटी की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1887, 1888, 1889 में से एक समर्पण पत्र दिनांक 01.07.2006 को रास्ते के बाबत् किया गया था। पत्रावली पर मौजूद राजस्व नक्शा एवं तहसीलदार उदयपुरवाटी से प्राप्त तथ्यात्मक जांच रिर्पोट के अवलोकन से साबित है कि भूमि खसरा नम्बर 1887, 1888, 1889 में रास्ते की तरमीम समर्पण पत्र दिनांक 01.07.2006 के अनुसार नहीं की गई है। उक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र समर्पणप पत्र दिनांक 01.06.2006 के अनुसार स्वीकार किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतित होता है।

## आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अ0 धारा 136 एल. आर. एक्ट स्वीकार किया जाता है ग्राम गुढागौड़जी पटवार हल्का गुढागौड़जी तहसील उदयपुरवाटी की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1887, 1888, 1889 में समर्पण पत्र दिनांक 01.07.2006 के अनुसार रास्ता की तरमीम राजस्व नक्शा एवं नक्शा सीट में किये जाने का आदेश दिया जाता है। तद्नुसार तहसीलदार उदयपुरवाटी राजस्व नक्शा में तरमीम करे।

(राम सिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी (झुन्झुनूँ)

निर्णय आज दिनांक 19.08.2021 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राम सिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी (झुन्झुनूँ)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.09.14 16:07:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner